अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला–..........राँची...................., वाद संख्या–........04............................सन्–......2020–21........................ ।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद

अर्जीकार–सीतानाथ महतो बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू वगैरहं

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
15-09-2020	**आदेश**	

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–सीतानाथ महतो, पिता–स्व० सहदेव महतो, ग्राम–जुड़गा, पो०–लान्दुपडीह, थाना–सोनाहातु, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–190 R 27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–04/01/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/0028	1109	69	6¼ डिसमील

चौहदीः–उ०–बाल मुकुन्द साव वगैरह, द०–प्रस्तावित रास्ता प्लॉट नं०– 69 10 फीट का, पू०–प्लॉट नं०–80, प०–दिगविजय सिंह मुण्डा प्लॉट नं०–69।

आवेदन के साथ संलग्न निम्न न्यायालय के नामांरण मुकदमा सं०–190 R 27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार ऑनलाईन आवेदन में रकवा प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है। अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा उक्त नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजात प्राप्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

अंचल अधिकारी, बुण्डू को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

15/09

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

15/09

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।